भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2583**

जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त, 2026/20 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

**राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 का कार्यान्वयन**

**2583 डा. सिकंदर कुमार:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरक क्षेत्र में निजी तथा सार्वजनिक पूंजी निवेश को जोखिम-मुक्त करने हेतु राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 के अंतर्गत कौन-से संरचनात्मक तंत्र शुरू किए गए हैं;
(ख) इस नए नीतिगत ढांचे के अंतर्गत प्रस्तावित 8 से 9 गैस-आधारित इकाइयों को शामिल करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट समय-सीमा क्या है;
(ग) संयंत्र-स्तरीय लागत अनुकूलन के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय उर्वरक सब्सिडी बिल में अनुमानित कमी तथा विदेशी मुद्रा बचत का ब्यौरा क्या है; और
(घ) देश किस सटीक वर्ष तक यूरिया में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त कर आयात निर्भरता को पूर्णत: समाप्त करने की अपेक्षा रखता है?

**उत्तर**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

**(क) से (घ):** आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 15 जुलाई, 2026 को आत्मनिर्भर भारत हेतु राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति (एनआईपीयू)-2026 को अनुमोदित किया तथा यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इस नीति को 30 जुलाई, 2026 को अधिसूचित किया गया। इस नीति में निम्नतम (फ्लोर) एवं उच्चतम (सीलिंग) मूल्य निर्धारण तंत्र का प्रावधान किया गया है, जिसमें फ्लोर मूल्य 12% इक्विटी पर प्रतिफल (Return on Equity–RoE) से संबद्ध है, ताकि न्यूनतम वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके, जबकि सीलिंग मूल्य 16% RoE से संबद्ध है, ताकि प्रतिफल की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सके। देय सब्सिडी आयात समता मूल्य (आईपीपी) के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जो निर्धारित फ्लोर एवं सीलिंग सीमाओं के अध्यधीन होगी। नीति में मूल्य निर्धारण ढाँचे में डिलीवर्ड गैस लागत को शामिल करके गैस परिवहन शुल्क की अलग से प्रतिपूर्ति की व्यवस्था को भी समाप्त किया गया है।

इस नीति में सभी नए यूरिया संयंत्रों के लिए नियत लागत तथा परिवर्तनीय (ऊर्जा) लागत घटकों का पृथक लेखांकन करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं को ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड/विस्तार, पुनर्जीवन तथा पुनरुद्धार (Revamp) श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिससे परियोजना-विशिष्ट नीतिगत प्रावधान लागू किए जा सकें। नीति में 1 अमेरिकी डॉलर = ₹90 की संदर्भ विनिमय दर अपनाई गई है। नियत लागत घटक को चार वर्ष के पश्चात इन वित्तीय वर्षों की औसत विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाएगा, जबकि परिवर्तनीय (ऊर्जा) लागत अमेरिकी डॉलर में ही निर्धारित की जाती रहेगी।

यह नीति केवल उन परियोजनाओं पर लागू होगी, जिनमें इस नीति की अधिसूचना की तारीख अर्थात् 30.07.2026 से पाँच वर्ष के भीतर उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। सब्सिडी सहायता उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से आठ वर्षों की अवधि के लिए केवल घरेलू बिक्री पर उपलब्ध होगी, जिसके पश्चात इन इकाइयों पर प्रचलित यूरिया नीति लागू होगी।

इस नीति का उद्देश्य उर्वरक सब्सिडी को कम करना है, क्योंकि नए संयंत्र नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे, जिससे उनकी प्रचालन दक्षता में सुधार होगा और परिणामस्वरूप सब्सिडी का युक्तिकरण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता को प्रोत्साहित करके यह नीति आयात पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य रखती है, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत होगी तथा यूरिया उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

*****